

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2790
06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

ई-साक्षी पोर्टल

2790. डॉ. राजेश मिश्रा:

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

श्री बसवराज बोम्मई:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री पी. पी. चौधरी:

श्री खगेन मुर्मु:

डॉ. हेमांग जोशी:

डॉ. भोला सिंह:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ई-साक्षी पोर्टल-डिजिटल पहल के माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि प्रवाह के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह नया पोर्टल एमपीलैड्स निधि को सुव्यवस्थित करने और बेहतर बनाने तथा दक्षता एवं पारदर्शिता के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) ई-साक्षी पर प्रशिक्षित या शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है और इस पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर कब तक लागू किया जाएगा;
- (घ) क्या ई-साक्षी, एमपीलैड्स में वास्तविक समय निगरानी और जवाबदेही को सक्षम बनाता है और कार्यान्वयन एजेंसियों की डिजिटल तत्परता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार ई-साक्षी पोर्टल को सरल बनाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन को अपलोड करने के लिए कोई समय-सीमा दी गई है और यदि नहीं, तो एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपीलैड योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2023 से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ई-साक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। सांसदों की संस्तुतियों, जिला प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा

कार्यनिष्पादन, सभी एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके, ई-साक्षी पोर्टल ने निधियों की निर्मुक्ति को सुव्यवस्थित किया है, वास्तविक खातों की आवश्यकता को समाप्त किया है, सभी हितधारकों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल कार्यक्षमता को सक्षम बनाया है, और सुरक्षित सत्यापन तंत्र के माध्यम से कार्यप्रवाह प्रणाली को सरल बनाया है। इन संशोधनों से दक्षता, पारदर्शिता, वास्तविक समय पर निगरानी और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय में सुधार हुआ है, जिससे परियोजना निष्पादन में तेजी आई है और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर जवाबदेही सुदृढ़ हुई है।

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ई-साक्षी पोर्टल पर सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है और इसके संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। उपयोगकर्ता की जानकारी को और अधिक बढ़ाने तथा प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग के लिए, मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और माननीय संसद सदस्यों सहित हितधारकों के लिए कार्यशालाएं, वेबिनार और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। ये क्षमता-निर्माण पहल निरंतर जारी हैं और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर आयोजित की जाती हैं, जिससे सभी स्तरों पर निरंतर सहायता और सहभागिता सुनिश्चित होती है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संसद सत्र (वर्ष 2023 के मानसून सत्र से) के दौरान सांसदों को एमपीलैड्स से संबंधित प्रक्रियाओं और ई-साक्षी पोर्टल के उपयोग में सहायता प्रदान करने के लिए कियोस्क स्थापित किए जाते हैं। संसद सत्र के दौरान सभी कार्य दिवसों में एक महत्वपूर्ण हेल्पडेस्क सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होता है, जो सांसदों और अन्य हितधारकों को एमपीलैड्स निधियों के सुचारू उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं की और अधिक सहायता के लिए, इस मंत्रालय ने पोर्टल पर उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुदेशात्मक वीडियो उपलब्ध कराए हैं।

(घ) ई-साक्षी वेब पोर्टल में सांसदों की संस्तुतियों, जिला प्राधिकारी द्वारा मंजूरी और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादन का सहज एकीकरण किया गया है; जिससे एक सुव्यवस्थित और कुशल कार्यप्रवाह में योगदान मिला है। यह पोर्टल कस्टमाइज्ड लॉगिन, प्रगति रिपोर्टें और डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर कार्यों की प्रगति की अधिक प्रत्यक्षता भी प्रदान करता है। इससे एमपीलैड योजना के कामकाज में दक्षता बढ़ी है, साथ ही प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है, जो संसद सदस्यों को योजना के तहत कार्यों की संस्तुति करने और निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

(ङ) ई-साक्षी पोर्टल की सक्रियता से समीक्षा की जाती है और इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का मूल्यांकन करता है तथा पोर्टल की उपयोगिता में सुधार लाने तथा इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पोर्टल अपने परिचालन में उत्तरदायी और कुशल बना रहे।

(च) एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 में जिला प्राधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निर्धारित समय-सीमा के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं, ताकि माननीय सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों की समय पर स्वीकृति, निष्पादन और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- पैरा -3.2.4: संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
- पैरा -3.2.12: कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए दुर्गम/पहाड़ी इलाकों आदि में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, इसके लिए विशिष्ट औचित्य को स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा।
- पैरा 10.6.1: कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य, जो सम्यक रूप से स्वीकृत हैं, सांसद के पद छोड़ने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरे हो गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। निष्पक्ष निगरानी के लिए, लंबित कार्यों पर नियमित अपडेट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए जाते हैं, जिनमें 45 दिनों से अधिक समय से स्वीकृत नहीं किए गए कार्यों, स्वीकृति के एक वर्ष बाद भी पूरे नहीं हुए कार्यों और स्वीकृति के तीन महीने बाद भी भुगतान न किए गए कार्यों का विवरण शामिल है।
